न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 46/2016

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का चांदूर — बनाम — गैरसायल जवाराम,मोहनलाल,बाबुलाल,सावलाराम वेलाराम पुत्र समरथाराम जाति पुरोहित नि. चांदूर

निर्णय दिनांकः–7.10.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चांदूर व निरीक्षक भू.अ. चांदूर ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा चांदूर के खसरा नंबर 585/1559 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म गै.मु. नदी में अनाधिकृतरूप से टयुबवेल खोदकर कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा चांदूर खसरा नंबर 585/1559 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म गै.मु नदी अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.24 का 50 गुणा रू0 12/– अक्षरे बारह रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) चांदूर ,पटवारी हल्का चांदूर को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश स़रे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार ,जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner